न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3826 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 71/अपील/2015-16.

अजीजउद्दीन आत्मज श्री जमालउद्दीन खां, वयस्क
निवासी-ग्राम भंवरखेड़ी तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

फूलबाई पत्नी स्व. श्री देवीराम मैहर,
निवासी-ग्राम महुआखेड़ा तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल द्वारा पारित दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा सांची के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रसतुत किया गया

कि ग्राम भंवरखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 14/1 रकबा 2.12 एकड़ एवं खसरा नम्बर 19/1 रकबा 0.88 कुल रकबा 3 एकड़ भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जाकर आधिपत्य प्राप्त किया गया था। उपरोक्त भूमियों का बंटवारा दिनांक 31.10.1991 को किया गया था, जिसमें खसरा क्रमांक 19 का सम्पूर्ण रकबा 4.35 एकड़ का बंटवारा खसरा नम्बर 19।1 रकबा 0.88 एकड़ मुकुंदी आ0 देवा, खसरा क्रमांक 19/2 रकबा 3.47 एकड़ भूमिस्वामी गुलाबसिंह, चतरसिंह आ0 खुशीलाल एवं भंवरीबाई वि. खुशीलाल के आधिपत्य अनुसार प्राप्त हुई थी। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमिस्वामियों का नाम दर्ज होने के कारण उसका फायदा उठाकर खसरा नम्बर 19 रकबा 4.35 एकड़ में से 4.00 एकड़ भूमि आवेदक को विक्रय की गई है, जबकि उनको रकबा 3.47 एकड़ विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। अत: खसरा नम्बर 19/2 रकबा 4.00 एकड़ में से रकबा 3.47 एकड़ पर आवेदक तथा शेष रकबा 0.53 पर अनावेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। अितरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण 46/बी-121/2011-12 दर्ज कर दिनांक 15.03.2012 को आदेश पारित कर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसील नयायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 29.08.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.01.2005 एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 04.12.2007 के परिप्रेक्ष्य में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण विधि अनुसार गुण-दोषों के आधार पर करें। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि आयुक्त का आदेश न्याय सिद्धांतों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि आयुक्त ने संहिता की धारा 32 को समझने में गंभीर भूल करते हुए संहिता में दिये गये प्रावधानों को अनदेखा करते हुए जो आदेश पारित किया है, वह न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है और ना ही न्यायोचित है। तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा

पारित आदेश संहिता में हुए संशोधन दिनांक 30.12.2011 के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों को समझने में कानूनी भूल की गई है। आयुक्त द्वारा जिन आदेशों के आधार पर प्रकरण तहसील न्यायालय को वापस भेजा है, उक्त आदेश दिनांक 31.01.2005 एवं 04.12.2007 आवेदक पर बंधनकारी नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त आदेशों में मूल रूप से रहे हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 एवं प्रथम तथा द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2005 एवं अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 04.12.2007 के परिप्रेक्ष्य में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2010 के परिप्रेक्ष्य में विधिक कार्यवाही की जानी थी, किन्तु उनके द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जांच कर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजा गया है, जहां आवेदक को सुनवाई एंवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश दिनांक 31.01.2005 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 04.12.2007 के निर्णय अंतिम हो चुके हैं। अंत: तहसील न्यायालय को उन्हीं आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर विधि अनुसार गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही करनी है। इस प्रकार आयुक्त द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर